बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–पु0 / सू0 / केन्द्र / नि0 / प्राधिकार–50 / 2023....382.......... पटना, दिनांक....12/03/2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार पटना ।

औपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के अराजकीय वर्गीकृत विशिष्ट पुस्तकालयों को सहायक अनुदान गैर वेतन (31–06) मद में **रू0–8,75,000=00 (आठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र** की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति के संबंध में।

उद्देशयः–

राज्य के अराजकीय वर्गीकृत कुल–13 विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में सरकार द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन (31–06) मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन के अन्तर्गत अतिरिक्त उपबंध की गयी राशि में से **रू0–8,75,000=00 (आठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र** की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है, ताकि, अराजकीय वर्गीकृत पुस्तकालयों में पढ़ने वाले पाठकगण एवं शोधकर्त्ताओं को पर्याप्त सुविधाएँ मिलती रहे और पुस्तकालय का संचालन नियमित रूप से होता रहे।

आदेश–स्वीकृत।

महाशय,

2. राज्य के अराजकीय वर्गीकृत विशिष्ट पुस्तकालयों को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन मद में निम्न प्रकार से राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं0	मद	राशि
1.	**सहायक अनुदान गैर वेतन 0007–31–06**	**8,75,000=00**
	कुल :–	**8,75,000=00**

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष अन्तर्गत व्यय का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2205–कला एवं संस्कृति, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–सार्वजनिक पुस्तकालय, उपशीर्ष–0007– विशिष्ट पुस्तकालय विपत्र कोड–21–2205–00–105–0007, विषय शीर्ष–0007–31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद अन्तर्गत **रू0–8,75,000=00 (आठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र** का अतिरिक्त उपबंधित राशि द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से सहायक अनुदान गैर वेतन मद से होगा।

4. उक्त आवंटन को उप निदेशक प्रशासन–सह–बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के द्वारा C.F.M.S प्रक्रियाधीन करते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त राशि निदेशक, पुस्तकालय–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना के द्वारा CFMS प्रक्रिया के तहत BANK NAME- BANK OF BARODA, SAVING ACCOUNT NO-00030100018204, IFSC CODE-BARB0PATNAX, BRANCH-PATNA MAIN BRANCH, PATNA-800001 के माध्यम से राज्य के कुल 13 यथा महिला चर्खा समिति कदमकुआँ, पटना, ज्योति प्रकाश मोरियल लाइब्रेरी बक्सर, गेट पब्लिक लाइब्रेरी एण्ड इन्स्टीच्यूट, गर्दनीबाग पटना, मौलाना मजहरूलहक पुस्तकालय, बिहार विद्यापीठ, सदाकत आश्रम, पटना–10, गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, भरतपुरा, पटना, श्री हिन्दी पुस्तकालय, सोहसराय, नालंदा, ज्ञान निकेतन परसौनी चौक, सीतामंढ़ी, श्री शिव शंकर नवल किशोरी विशिष्ट पुस्तकालय, समस्तीपुर, विप्लवी पुस्तकालय, गोदरगावाँ, बेगूसराय, मंहथ राम शरण दास पुस्तकालय, मोरदीवॉ, समस्तीपुर, शारदा सदन विशिष्ट पुस्तकालय, लालगंज वैशाली, सुखदेव प्रसाद वर्मा जनता पुस्तकालय, सुगांव, जहानाबाद एवं श्री देव कुमार जैन ओरिएंटल लाईब्रेरी, आरा, भोजपुर अराजकीय वर्गीकृत विशिष्ट पुस्तकालयों के बैंक खाते में विहित प्रक्रिया तहत RTGS के द्वारा सीधे उपलब्ध करायेगें, साथ ही यह सुनिश्चित हो लेंगे कि इसके पूर्व वित्तीय वर्ष का संबंधित पुस्तकालयों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ली गई है। इसके पश्चात् ही राशि का उपयोग किया जायेगा।

6. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग, वित्त अंकेक्षण विभाग, बिहार एवं महालेखाकार बिहार, पटना को लेखा का अंकेक्षण निरीक्षण करने का अधिकार होगा। पुस्तकालय के संबंधित सचिव इस राशि का लेखा का संधारण अलग से करेंगें।

7. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र (फार्म–42A) में विधिवत भरकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण के साथ निर्धारित अवधि में विभाग को समर्पित किया जायेगा, ताकि प्रतिहस्ताक्षरोपरांत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को प्रेषित किया जा सके।

8. 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन महालेखाकर, बिहार से करा लिया जायेगा।

9. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं०–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प सं०–12888 दिनांक–03.12.2024 के कंडिका–6 (छ) के आलोक में निर्गत की जा रही है तथा वित्त विभागीय परिपत्र सं०–7355, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राशि का व्यय पेंशनादि मद में नहीं किया जायेगा।

12. संचिका संख्या–पु0 / सू0 / केन्द्र / निदे0 / प्राधिकार–50 / 2023 के **पृ०–27 / टि० पर दिनांकः–24.02.2026** को राशि की निकासी पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13\. संचिका संख्या– पु0 / सू0 / केन्द्र / निदे0 / प्राधिकार–50 / 2023 के **नोट–17 पर दिनांकः–10.03.2026** को माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

14\. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नही किया जाय।

15\. मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–पु0 / सू0 / केन्द्र / निदे0 / प्राधिकार–50 / 2023–............पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–पु0 / सू0 / केन्द्र / निदे0 / प्राधिकार–50 / 2023 382 पटना, दिनांक 12/03/2026

प्रतिलिपि :– निदेशक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी/बजट शाखा प्रशाखा–05/लेखा शाखा, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12-3-26

सरकार के उप सचिव